

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.576/3/वीवीपीएटी/2016/एस डी आर-खंड ।

तारीख : 13 मई, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  
तमिलनाडु,  
चेन्नई

विषय : तमिलनाडु विधान सभा का साधारण निर्वाचन -वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम (वी वी पी ए टी) सहित ई वी एम के प्रयोग के बारे में।

महोदय,

आयोग के तारीख 21 मई, 2016 के निदेश संख्या 576/3/वी वी पी ए टी/2016/एस डी आर - खंड.। में तमिलनाडु के 17 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जहां मतों के पेपर ट्रेल को प्रिंट करने के लिए सभी वोटिंग मशीनों के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित एक प्रिंटर संबद्ध किया जाएगा। उक्त निदेशों में केवल 1350 निर्वाचकों तक वाले मतदान केंद्रों को सम्मिलित करने के लिए उसे बाद में आयोग के निदेश सं. 576/3/वी वी पी ए टी/2016/एस डी आर - खंड.। के तहत उपांतरित किया गया। इस संबंध में, कृपया आयोग के तारीख 7 मार्च, 2016 के पत्र को अवलोकन करें। उक्त पत्र में, यह निर्णय लिया गया कि वी वी पी ए टी सिस्टम का प्रयोग केवल ऐसे मतदान केंद्रों में किया जाएगा जहां निर्वाचकों की संख्या 1350 से कम है। इस निदेश को, आगे मतदान केंद्रों की सूची में उपांतरण के बाद आपके द्वारा प्रस्तुत मतदान केंद्रों की सूची के आधार पर उपांतरित किया गया है। तारीख 13 मई 2016 का उपांतरित निदेश इसके साथ संलग्न है।

2. निदेश को शीघ्र ही राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकार्ड के लिए आयोग को भेजी जाए।

3. उपर्युक्त अनुदेश को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाया जाए। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को निदेश की सूचना दी जाए और उपांतरित निदेशों का मास कम्यूनिकेशन के सभी मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

4. कृपया पावती भेजी जाए।

भवदीय,  
(एन. टी. भूटिया)  
अवर सचिव

राज्यों के शासकीय राजपत्र में शीघ्र प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

तारीख 13 मई, 2016  
23, वैशाख, साका 1938

**निदेश**

संख्या 576/3/वी वी पी ए टी/2016/एस डी आर - खंड.। - आयोग के तारीख 21 मार्च, 2016 के निदेश संख्या 576/3/वी वी पी ए टी/2016/एस डी आर - खंड.। तथा तारीख 30 अप्रैल, 2016 के परवर्ती निदेश सं. 576/3/वी वी पी ए टी/2016/एस डी आर - खंड.। के आंशिक उपांतरण में, आयोग ने विनिर्दिष्ट किया है कि तारीख 21 मार्च, 2016 के निदेश में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, तमिलनाडु के विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन में, इस अधिसूचना के अनुबंध में यथा विनिर्दिष्ट, मतदान केंद्रों में ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर का भी प्रयोग किया जाए।

आदेश द्वारा,

(अनुज जयपूरियार)  
सचिव